किस्म मुकदमा — प्रा.वाद संख्या [illegible]

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर [illegible]	[illegible]
20.6.24	वाद / प्रार्थनापत्र प्राप्त होकर प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक 23.7.24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
23.7.24	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हो चुके है। प्रा०प० किये गये। विपक्षीगण अनुपस्थित, विपक्षीगण को कितनी बार रुक रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर आ०प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible] हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी — [illegible]

प्रकरण संख्या — 243/24 प्रा.पत्र

श्री भेरूलाल पि० शंकरलाल रेगर निवासी- सरेडी तहसील आसीन्द

प्रार्थी

बनाम

श्री भंवरलाल पि० रंगा कावरा निवासी- सरेडी तहसील - आसीन्द [कॉमन]
[प्रकाशित प्रार्थना पत्र]

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक— 23-7-24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हिसाणिया पटवार हल्का हिसाणिया तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 209, 210, 211, 235 कुल किता 04 रकबा 0.9233 हेक्टेयर स्थित है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविदा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 25-6-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण की अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारों निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम हिसाणिया पटवार हल्का हिसाणिया तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 209, 210, 211, 235 कुल किता 04 रकबा 0.9233 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की मुखा जानकारी कराये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलमास को 500 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि— तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी